

D

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

20/8/00223

महोदयजी, धार्वी का नाम ग्राम सांगरिया जमाबन्दी संवत् 2072-75
खारा सं. 848 में लाल मोहम्मद अंकित है, जबकि धार्वी का नाम
भाधार कांड में लाला नीलागर अंकित है। अतः मुद्राविठ भाधार
कांड के धार्वी का नाम लाल मोहम्मद से लाला नीलागर करना
उचित है।

24.5.18
(हरिराम माली)

पटवारी, प. म. सांगरिया
तह. फुलियाकला (भीलवाड़ा)

9.2.18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार फुलियाकला

मुतबिक रिपोर्ट पटवारी जांच JLR संशोधन स्वीकार योग्य है।

तहसीलदार
फुलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत अभियान
नाथ आर्क द्वार-2018

प्र सं 237/18

आदेश केम्प - सांगरिया दिनांक 24/05/18

हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकला के ग्राम सांगरिया की जमाबन्दी
संवत् 2072-75 की खार संख्या 848 में दर्ज लाल मोहम्मद की
बजाय लाला नीलागर करने का आदेश दिया जाता है।
पालनायक तहसीलदार फुलियाकला को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक व...
फुलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

फुलियाकला (भीलवाड़ा) राज.